पुलिस आदेश संख्या–326/2023

गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना के पत्र संख्या–2/विविध–20–10/2023 गृ0आ0–7315, दिनांक–19.06.2023 के आलोक में पुलिस आदेश संख्या–317/2020 सह पठित ज्ञापांक–126/एल–2, दिनांक–16.07.2020 की कंडिका–08 के अतिरिक्त निम्नरुपेण कंडिका–8(क) जोड़ा जाता हैः–

कंडिका–8 (क)– "**बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों का अनिवार्य सेवाकालीन प्रशिक्षण बाह्य सेवा (बिहार पुलिस संगठन से बाहर केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के अन्य विभागों) में प्रतिनियुक्ति या पदस्थापन अवधि तक स्थगित रहेगा। उक्त अवधि तक प्रशिक्षण बाधित रहने पर भी संबंधित पदाधिकारियों को अनुमान्य प्रोन्नति, एम0ए0सी0पी0 एवं अन्य लाभ देय होंगे। प्रतिनियुक्ति से वापस आने के पश्चात् संबंधित पदाधिकारियों की सेवावधि के आधार पर उनके सेवाकालीन प्रशिक्षण पर निर्णय लिया जाएगा।** "

पुलिस आदेश संख्या–317/2020 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

शेष यथावत् रहेगा।

पुलिस महानिदेशक, बिहार के आदेशानुसार।

28/8/23

अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 92 /एल–02
52-15-02-2020
बिहार पुलिस मुख्यालय
(स्थापना एवं विधि प्रभाग)

दिनांकः–28-08-2023

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सभी पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप–महानिरीक्षक, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. सभी पुलिस अधीक्षक एवं उनसे समकक्ष/वरीय कोटि के सभी पुलिस पदाधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. आई0टी0 मैनेजर, पुलिस मुख्यालय को बिहार पुलिस के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
5. संबंधित सभी शाखा प्रभारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

28/8/23

अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय),
बिहार, पटना।